

Five New Districts Created in Ladakh Union Territory



The Government of India has given official approval for the formation of five new districts in India's union territory of Ladakh. The notification from the lieutenant governor of Ladakh and prior approval from the Ministry of Home Affairs (MHA) reveal that the move seeks to enhance local governance and ensure better services to remote areas. The five districts are being created out of the existing Leh and Kargil districts. This brings the number of districts in Ladakh to seven, promising improved governance, development coverage, and decentralisation in the strategically significant territory of India.

Ladakh Official Notification: Five New Districts Created in Union Territory

- The Government of India has decided to create five new districts in Ladakh to enhance governance and administration of its remote areas.
- This move was gazetted by a notification of the Lieutenant Governor of Ladakh in April 2026.
- As a result, the number of districts in Ladakh increased from 2 (Leh and Kargil) to 7.
- The five new districts are:
 - **Nubra**
 - **Sham**

Current Affairs Capsule for 29 April 2026 (CLASS24)

- **Changthang**
- **Zaskar**
- **Drass**
- The districts have been excised from the present Leh and Kargil districts to improve the governance set-up.
- The restructuring aims to devolve power to the peripheries and those living in high-altitude areas.
- Sources said this decision will improve local-level administration and decentralisation.
- The reform will enhance public service provision, infrastructure building, and governance effectiveness.
- It also addresses long-standing demands for local communities' administrative convenience and development.
- Future phases will need planning and implementation of the administrative structure and headquarters of each new district.
- It accords with the government's desire to see Ladakh UT well-administered and developed under a decentralised governance system.
- The move is dubbed a major administrative change in the region since Ladakh transformed into a Union Territory in 2019.

Most Important PYQs on Ladakh

| Exam | Question | Options | Answer |
|--------------|--|---|----------------------------------|
| UPSC Prelims | Ladakh lies between which two major mountain ranges? | A) Aravalli & Vindhya B) Karakoram & Zaskar C) Himalaya & Nilgiri D) Satpura & Aravalli | B) Karakoram & Zaskar |
| UPSC Prelims | Which river is the main lifeline of Ladakh? | A) Ganga B) Indus C) Yamuna D) Sutlej | B) Indus |
| SSC CGL | Pangong Lake is located in which region? | A) Himachal Pradesh B) Ladakh C) Sikkim D) Assam | B) Ladakh |
| UPSC Prelims | Ladakh became a Union Territory in which year? | A) 2018 B) 2019 C) 2020 D) 2021 | B) 2019 |
| CDS | Which pass connects Ladakh with Tibet? | A) Nathu La B) Khardung La C) Rohtang Pass D) Shipki La | B) Khardung La |
| SSC CHSL | Ladakh is best described as which type of region? | A) Tropical forest B) Cold desert C) Coastal plain D) River valley | B) Cold desert |

Current Affairs Capsule for 29 April 2026 (CLASS24)

| | | | |
|--------------|---|---|---------------------------|
| UPSC Prelims | Hemis Monastery is associated with which religion? | A) Hinduism B) Buddhism C) Jainism D) Islam | B) Buddhism |
| CAPF | The capital of Ladakh Union Territory is: | A) Jammu B) Srinagar C) Leh D) Kargil | C) Leh |
| UPSC Prelims | Which lake is famous for its blue brackish water in Ladakh? | A) Dal Lake B) Wular Lake C) Pangong Lake D) Chilika Lake | C) Pangong Lake |
| SSC GD | Ladakh region is part of which plateau system? | A) Deccan Plateau B) Tibetan Plateau C) Malwa Plateau D) Chota Nagpur Plateau | B) Tibetan Plateau |

Conclusion – Ladakh Gets Five New Districts

Ladakh is now on the verge of realising decentralised administration and better governance with the announcement of five new districts. The Government of India's move will ensure greater access to government services, infrastructure and the well-being of the people in remote, high-altitude areas. It is also in response to the popular demand for good governance by the local population. This change will help Ladakh develop more rapidly, engage in better local governance, and deliver critical services more effectively in the strategically significant regions.

HINDI

लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पांच नए जिलों का गठन किया गया



भारत सरकार ने लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में पांच नए जिलों के गठन को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। लद्दाख के उपराज्यपाल की अधिसूचना और गृह मंत्रालय (MHA) की पूर्व स्वीकृति से पता चलता है कि इस कदम का उद्देश्य स्थानीय शासन को मजबूत करना और दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करना है। ये पांच जिले मौजूदा लेह और कारगिल जिलों को मिलाकर बनाए जा रहे हैं। इससे लद्दाख में जिलों की संख्या सात हो जाएगी, जिससे भारत के इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में बेहतर शासन, विकास कवरेज और विकेंद्रीकरण की उम्मीद जगेगी।

लद्दाख की आधिकारिक अधिसूचना: केंद्र शासित प्रदेश में पांच नए जिलों का गठन

- भारत सरकार ने लद्दाख के दूरस्थ क्षेत्रों के शासन और प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए वहां पांच नए जिले बनाने का निर्णय लिया है।
- इस कदम को अप्रैल 2026 में लद्दाख के उपराज्यपाल की अधिसूचना द्वारा राजपत्रित किया गया था।
- इसके परिणामस्वरूप, लद्दाख में जिलों की संख्या 2 (लेह और कारगिल) से बढ़कर 7 हो गई।
- ये पांच नए जिले इस प्रकार हैं:
 - नुबरा
 - दिखावा
 - चांगथंग
 - जांस्कर

Current Affairs Capsule for 29 April 2026 (CLASS24)

- द्रास
- शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए वर्तमान लेह और कारगिल जिलों से इन जिलों को अलग किया गया है।
- इस पुनर्गठन का उद्देश्य परिधीय क्षेत्रों और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वालों को शक्ति का हस्तांतरण करना है।
- सूत्रों ने बताया कि इस निर्णय से स्थानीय स्तर के प्रशासन और विकेंद्रीकरण में सुधार होगा।
- इस सुधार से सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान, बुनियादी ढांचे के निर्माण और शासन की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी।
- यह स्थानीय समुदायों की प्रशासनिक सुविधा और विकास के लिए लंबे समय से चली आ रही मांगों को भी पूरा करता है।
- आगामी चरणों में प्रत्येक नए जिले की प्रशासनिक संरचना और मुख्यालय की योजना और कार्यान्वयन की आवश्यकता होगी।
- यह सरकार की इस इच्छा के अनुरूप है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन और विकास विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली के तहत सुचारू रूप से हो।
- इस कदम को क्षेत्र में एक बड़ा प्रशासनिक परिवर्तन माना जा रहा है, क्योंकि लद्दाख 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बन गया था।

लद्दाख पर सबसे महत्वपूर्ण पूर्व प्रश्न

| परीक्षा | सवाल | विकल्प | उत्तर |
|--------------------|--|---|----------------------------------|
| यूपीएससी प्रीलिम्स | लद्दाख किन दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? | ए) अरावली और विंध्य बी) काराकोरम और जांस्कर सी) हिमालय और नीलगिरि डी) सतपुड़ा और अरावली | B) Karakoram & Zaskar |
| यूपीएससी प्रीलिम्स | लद्दाख की मुख्य जीवनरेखा कौन सी नदी है? | ए) गंगा बी) सिंधु सी) यमुना डी) सतलज | बी) सिंधु |
| एसएससी सीजीएल | पेंगोंग झील किस क्षेत्र में स्थित है? | ए) हिमाचल प्रदेश बी) लद्दाख सी) सिक्किम डी) असम | बी) लद्दाख |
| यूपीएससी प्रीलिम्स | लद्दाख किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना? | ए) 2018 बी) 2019 सी) 2020 डी) 2021 | बी) 2019 |
| सीडीएस | लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? | A) नाथू ला B) खारदुंग ला C) रोहतांग दर्रा D) शिपकी ला | बी) खारदुंग ला |
| SSC CHSL | लद्दाख को किस प्रकार के क्षेत्र के रूप में सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया जा सकता है? | ए) उष्णकटिबंधीय वन बी) शीत रेगिस्तान सी) तटीय मैदान डी) नदी घाटी | बी) ठंडा रेगिस्तान |

Current Affairs Capsule for 29 April 2026
(CLASS24)

| | | | |
|----------------------------|---|--|------------------|
| यूपीएससी प्रीलिम्स | हेमिस मठ किस धर्म से संबंधित है? | ए) हिंदू धर्म बी) बौद्ध धर्म सी) जैन धर्म डी) इस्लाम | बी) बौद्ध धर्म |
| केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल | लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है: | ए) जम्मू बी) श्रीनगर सी) लेह डी) कारगिल | सी) और |
| यूपीएससी प्रीलिम्स | लद्दाख में कौन सी झील अपने नीले खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है? | A) डल झील B) वुलर झील C) पेंगोंग झील D) चिल्का झील | सी) पेंगोंग झील |
| एसएससी जीडी | लद्दाख क्षेत्र किस पठारी प्रणाली का हिस्सा है? | ए) दक्कन पठार बी) तिब्बती पठार सी) मालवा पठार डी) छोटा नागपुर पठार | बी) तिब्बती पठार |

निष्कर्ष – लद्दाख को पांच नए जिले मिले

पांच नए जिलों की घोषणा के साथ लद्दाख विकेंद्रीकृत प्रशासन और बेहतर शासन व्यवस्था की ओर अग्रसर है। भारत सरकार के इस कदम से दूरस्थ, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं, बुनियादी ढांचे और लोगों के कल्याण तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी। यह स्थानीय आबादी की सुशासन की मांग को पूरा करने का भी प्रयास है। इस बदलाव से लद्दाख को तेजी से विकास करने, बेहतर स्थानीय शासन व्यवस्था अपनाने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रदान करने में मदद मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: लिव-इन रिलेशनशिप खत्म करना अपराध नहीं है।



भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में यह पुष्टि की है कि लिव-इन रिलेशनशिप से अलग होना गैरकानूनी नहीं है, जिससे यह बात स्पष्ट होती है कि भारत में वयस्कों के बीच सहमति से बने संबंध अपराध नहीं हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लिव-इन रिलेशनशिप दोनों पक्षों की सहमति पर निर्भर करते हैं, और दोनों में से कोई भी व्यक्ति आपराधिक आरोपों का सामना किए बिना संबंध समाप्त कर सकता है। यह टिप्पणी दीर्घकालिक संबंधों और अलगाव के बाद उत्पीड़न से संबंधित विवादों के मामलों की सुनवाई के दौरान की गई। यह निर्णय व्यक्तिगत संबंधों और आपराधिक कानून के बीच की सीमाओं को स्पष्ट करता है, और यह दर्शाता है कि भारत में सहमति से बने संबंधों को अपराध नहीं माना जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लिव-इन रिलेशनशिप तोड़ना अपराध नहीं है

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि संबंध आपसी सहमति से स्थापित है तो लिव-इन रिलेशनशिप को तोड़ना गैरकानूनी नहीं है।
- यह उन मामलों में देखा गया जहां लंबे समय तक साथ रहने के बाद भागीदारों के बीच विवाद उत्पन्न होता है।
- न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे संबंध आपसी सहमति से बनते हैं, और एक साथी रिश्ते से पीछे हट सकता है।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये संबंध विवाह के समकक्ष नहीं हैं, जैसा कि हम जानते हैं, और इसलिए, अलगाव अपराध नहीं हो सकता।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अलगाव के बाद होने वाला दर्द अपराध नहीं है।

- इसमें सहमति से बने संबंधों और बलात्कार या हमले जैसे आपराधिक कृत्यों के बीच अंतर को स्पष्ट किया गया था।
- इन मामलों को जो बात अलग बनाती है, वह है बच्चों के प्रति चिंता - न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों के मामलों में भरण-पोषण के अधिकार अलगाव की स्थिति में भी अप्रभावित रहते हैं।
- यह मामला लिव-इन रिलेशनशिप में शादी के झूठे वादे करने के बढ़ते मामलों के बीच सुना गया।
- न्यायालय ने कहा कि दीर्घकालिक सह-निवास आमतौर पर आपसी सहमति का संकेत होता है।
- इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि दीवानी कानून के तहत राहत मिल सकती है, लेकिन रिश्ते टूटने के मामलों में आपराधिक कानून का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है।
- यह फैसला न्यायिक दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि लिव-इन रिलेशनशिप विवाह नहीं हैं, हालांकि इन्हें कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है।
- कुल मिलाकर, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों का उद्देश्य व्यक्तिगत संबंधों में आपराधिक कानून के दुरुपयोग को कम करना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित करना है।

अदालत ने रिश्ते की प्रकृति पर सवाल उठाया

सोमवार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपसी सहमति से बने लिव-इन रिलेशनशिप का खत्म होना अपने आप में आपराधिक आरोप का आधार नहीं बनता। न्यायालय ने अलगाव के बाद के आरोपों पर विचार करते हुए सहमति से बने वयस्क व्यक्तियों के बीच दीर्घकालिक सहवास की प्रकृति पर कानूनी जांच की। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे संबंध आपसी सहमति से बने होते हैं और इन्हें बलात्कार और मारपीट जैसे आपराधिक कृत्यों से अलग रखा जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल नाराज होना या संबंध टूट जाना किसी को अपराध का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है और इस बात पर बल दिया कि "सहमति से बने संबंधों को अपराध नहीं माना जाना चाहिए"।

निष्कर्ष – लिव-इन रिलेशनशिप तोड़ना अपराध नहीं है

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी में यह दोहराया गया है कि लिव-इन रिलेशनशिप दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से स्थापित होता है और इसमें विवाह के कानूनी और सामाजिक दायित्व शामिल नहीं होते। इसलिए, लिव-इन रिलेशनशिप का अंत अपने आप में आपराधिक कृत्य नहीं हो सकता। न्यायालय ने आपसी सहमति से स्थापित अंतरंग संबंधों और आपराधिक अपराधों को स्पष्ट रूप से अलग किया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अलगाव की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न विवादों का दुरुपयोग आपराधिक आरोपों के लिए न किया जाए। यह व्यक्तियों की स्वतंत्रता, सार्वजनिक स्वतंत्रता की रक्षा और संबंधों के टूटने की स्थिति में कानून के प्रावधानों के उचित अनुप्रयोग को सुनिश्चित करता है।

संयुक्त अरब अमीरात ओपेक तेल कार्टेल से बाहर निकलेगा



संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने औपचारिक रूप से ओपेक तेल कार्टेल से अलग होने की घोषणा कर दी है, जो हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय तेल राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक है। सरकार और अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह देश की तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और ओपेक उत्पादन कोटा पर निर्भरता कम करने की दीर्घकालिक योजनाओं का हिस्सा है। यूएई लगभग 60 वर्षों से ओपेक का सदस्य रहा है। इस कदम का वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिससे तेल उत्पादन और कीमतों पर ओपेक का नियंत्रण कम हो सकता है और यूएई को अपनी ऊर्जा और आर्थिक रणनीतियों को निर्धारित करने की अधिक स्वतंत्रता मिल सकती है।

ओपेक तेल कार्टेल से संयुक्त अरब अमीरात का बाहर निकलना – वैश्विक प्रभाव

- संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने पुष्टि की है कि वह 1 मई, 2026 को ओपेक तेल ब्लॉक से अलग हो जाएगा।
- संयुक्त अरब अमीरात के आधिकारिक मीडिया और सरकारी बयानों ने इस कदम की पुष्टि करते हुए इसकी दीर्घकालिक ऊर्जा नीतियों में बदलाव का हवाला दिया।
- यूएई ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय उसकी "दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि" और ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुरूप है।
- ओपेक की स्थापना के तुरंत बाद से ही संयुक्त अरब अमीरात लगभग 60 वर्षों से इसका सदस्य है।
- यूएई के अधिकारियों ने राष्ट्रीय ऊर्जा क्षेत्र में अधिक निवेश करने और उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया।

Current Affairs Capsule for 29 April 2026 (CLASS24)

- इस फैसले में एक प्रमुख कारक यह है कि यूएई ने ओपेक के उत्पादन कोटा पर असहमति जताई, जिसे वह सीमित करने वाला मानता था।
- विशेषज्ञों का कहना है कि यूएई लंबी अवधि में अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक तेल उत्पादन करने की अपनी क्षमता का विस्तार करने के प्रयास कर रहा है।
- इससे ओपेक के बाजार हिस्से पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- विश्लेषकों का कहना है कि इस कदम से यूएई को कार्टेल से बाहर रहकर तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए दबाव बनाने में मदद मिल सकती है।
- यूएई के बाहर निकलने से मूल्य निर्धारण और उत्पादन में अधिक लचीलापन आ सकता है।
- कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि वैश्विक तेल बाजार में अधिक अस्थिरता आ सकती है।
- यह निर्णय भू-राजनीतिक संघर्षों और ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करने वाले रसद संबंधी मुद्दों के बाद लिया गया है।
- संयुक्त अरब अमीरात ने विश्व के अग्रणी ऊर्जा आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी भूमिका की भी पुष्टि की।
- यह ओपेक और उससे परे की संगठनात्मक गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
- संयुक्त अरब अमीरात का यह निर्णय वैश्विक तेल परिदृश्य और उत्पादन नीति में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है।

ओपेक के प्रमुख तथ्य, संरचना और वैश्विक भूमिका का स्पष्टीकरण

- ओपेक: पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन
- इराक के बगदाद में 14 सितंबर 1960 को स्थापित।
- सदस्य देश: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला
- एक अंतरसरकारी संगठन और तेल कार्टेल
- इसका मुख्यालय वियना (ऑस्ट्रिया) में स्थित है।
- उद्देश्य: अपने सदस्य देशों की तेल नीतियों का समन्वय करना
- इसका उद्देश्य विश्व तेल बाजारों और कीमतों को स्थिर करना है।
- तेल उत्पादन और आपूर्ति को नियंत्रित करता है
- यह अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।
- इसका असर वैश्विक तेल की कीमतों और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
- विश्व मुद्रास्फीति और कीमतों में परिवर्तन का कारण बनता है
- ये देश तेल के बड़े निर्यातक हैं
- वर्तमान में 12 सदस्य देश हैं
- मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देश इसके सदस्य हैं।
- उपभोक्ताओं को नियमित तेल आपूर्ति सुनिश्चित करता है
- उत्पादकों के लिए आर्थिक लाभ बढ़ाता है
- उत्पादन कोटा लागू करता है
- ओपेक सम्मेलन निर्णय लेता है
- महासचिव ओपेक के सीईओ हैं।
- सदस्य देशों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित
- ईरानी फुआद रुहानी, प्रथम महासचिव
- वर्तमान महासचिव हैथम अल गैस (कुवैत) हैं।
- उन्होंने 2022 में पदभार ग्रहण किया और अभी भी कार्यरत हैं।
- महासचिव ओपेक के कानूनी प्रतिनिधि हैं।

- ओपेक सचिवालय दिन-प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करता है।
- वियना स्थित मुख्यालय में सचिवालय
- वार्षिक सांख्यिकी बुलेटिन जैसी रिपोर्टें जारी करें

निष्कर्ष – संयुक्त अरब अमीरात ने ओपेक छोड़ दिया

ओपेक से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अलग होने के दूरगामी परिणाम होंगे। यह निर्णय यूएई द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता में निवेश करने और ओपेक समूह से बाहर रहकर अपनी ऊर्जा रणनीतियां बनाने के अनुरूप है। इससे वैश्विक ऊर्जा कीमतों के निर्धारण और बाजार स्थिरता सुनिश्चित करने में ओपेक की भूमिका प्रभावित हो सकती है। साथ ही, यह प्रमुख ऊर्जा उत्पादकों की बदलती प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में ऊर्जा बाजार अधिक प्रतिस्पर्धी और अनुकूलनीय बन सकता है।

Ending Live-In Relationship Is Not a Crime, Rules Supreme Court



The Supreme Court of India has recently affirmed that breaking free from a live-in relationship is not illegal, underscoring the legal stance that consensual relationships involving adults are not crimes in India. The court explained that live-in relationships rely on the consent of both parties,

and either person is allowed to end the relationship without facing criminal charges. This comment came while hearing cases related to disputes over long-term relationships and post-separation harassment. The decision affirms the boundaries between individual relationship matters and criminal law, and that consensual relationships aren't mistaken for offences in India.

Supreme Court Clarification on Live-In Relationship Breakup Is Not a Crime

- India's Supreme Court noted that breaking off a live-in relationship is not illegal if the relationship is consensual.
- This was observed in cases where there is a dispute between partners after prolonged cohabitation.
- The Court stressed that such relationships are consensual, and one partner could withdraw from the relationship.
- It was explained by the Court that these relationships are not equivalent to marriage, as we know, and therefore, the separation cannot be a crime.
- The Court pointed out that pain suffered after separation does not constitute an offence.
- It outlined the difference between consensual relationships and criminal acts such as rape or assault.
- What sets these cases apart is the concern for children – the Court highlighted that maintenance rights in children's cases remain uncompromised even in separation.
- The case was heard amid growing cases of false promises of marriage in live-in relationships.
- The Court noted long-term co-residence is usually an indication of mutual consent.
- It also explained that relief might be available in civil law, but the criminal law cannot be abused in cases of relationship breakdown.
- The verdict supports the judicial view that live-in relationships are not marriages, though legally recognised.
- In all, the Supreme Court's observations seek to curtail misuses of criminal law in personal relationships and preserve personal freedom.

Court Questioned the Nature of Relationship

On Monday, the Supreme Court of India noted that the termination of a live-in relationship, in and of itself, does not form the basis for a criminal charge, so long as it was consensual in nature. The court posed a legal inquiry into the nature of long-term cohabitation between consenting adults when considering post-separation allegations. It stressed that such relationships are consensual and need to be separated from criminal actions such as rape and assault. The court also emphasised that simply being upset or having a relationship break down is not enough to find someone guilty of a crime and went on to stress that "consensual relationships should not be construed as crimes".

Conclusion – A Live-In Relationship Breakup Is Not a Crime

The Supreme Court commentary reiterates that a live-in relationship is consensual between two adults and does not involve legal and social obligations of marriage. As such, the termination of a live-in relationship, in and of itself, cannot be a criminal act. The Court has clearly separated consensual intimate relationships and criminal offences, thus ensuring that disputes arising during the split-up process are not abused for criminal accusations. This ensures the freedom of individuals, preservation of the liberty of persons and proper application of provisions of law in the breakdown of relationships.

United Arab Emirates to Quit OPEC Oil Cartel



The United Arab Emirates (UAE) has formally declared it will withdraw from the OPEC oil cartel, in what is one of the most important developments in international oil politics in recent years. This is part of the country's long-term plans to increase oil production capacity and become less dependent on OPEC production quotas, according to the government and international media reports. The UAE has been a member of OPEC for almost 60 years. The move is likely to have far-reaching implications for the global energy market, potentially diminishing OPEC's control over oil production and prices and giving the UAE more freedom to set its own energy and economic strategies.

United Arab Emirates Exit from OPEC Oil Cartel – Global Impact

- The United Arab Emirates (UAE) has confirmed it will leave the OPEC oil bloc on May 1, 2026.
- The UAE's official media and government statements confirmed the move, citing shifts in its long-term energy policies.
- The UAE explained the decision aligns with its "long-term strategic and economic vision" and energy needs.
- The UAE has been an OPEC member for almost 60 years, following its establishment soon after OPEC's formation.
- UAE's officials stressed greater investment in the national energy sector and expanding production.
- A major factor in the decision is that the UAE disagreed with OPEC over production quotas that it deemed limiting.
- Experts say the UAE has been making efforts to expand its capacity to produce more oil to increase its production in the long term.
- This is likely to have a negative effect on OPEC market share.
- Analysts say the move could enable the UAE to push for higher oil output outside of the cartel.
- The UAE's exit might allow for more flexibility in pricing and production.
- There may be greater volatility in the global oil market, some experts predict.
- The decision follows geopolitical conflicts and logistical issues affecting energy supplies.
- The UAE also affirmed its role as a leading energy supplier to the world.
- It is a significant change in the organisational dynamics of OPEC and beyond.
- The UAE's decision signifies a major shift in global oil dynamics and output policy.

OPEC Explained Key Facts, Structure and Global Role

- **OPEC: Organisation of the Petroleum Exporting Countries**
- **Created on 14 September 1960 in Baghdad, Iraq**
- **Members: Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Venezuela**
- An intergovernmental organisation and oil cartel
- **Headquartered in Vienna (Austria)**
- Purpose: to coordinate the oil policies of its member nations
- Seeks to stabilise world oil markets and prices
- Regulates oil production and supply
- Influences international oil prices and the economy
- Impacts global oil prices and the economy
- Causes changes in world inflation and prices
- Countries are big oil exporters

Current Affairs Capsule for 29 April 2026 (CLASS24)

- **Currently 12 member-nations**
- **Countries from the Middle East, Africa and South America are members**
- Ensures regular oil supply to consumers
- Enhances economic benefit for producers
- Imposes production quotas
- OPEC Conference makes decisions
- The Secretary General is the OPEC CEO
- Elected by member nations for a term
- Irani Fuad Rouhani, first Secretary General
- **The current Secretary General is Haitham Al Ghais (Kuwait)**
- Took Office in 2022 and still serves
- The Secretary General is the legal representative of OPEC
- OPEC Secretariat carries out day-to-day work
- Secretariat at headquarters in Vienna
- **Issue reports such as the Annual Statistical Bulletin**

Conclusion – United Arab Emirates Leaves OPEC

The departure of the United Arab Emirates (UAE) from OPEC has far-reaching implications. The decision is consistent with the UAE's investment in its own production capacity and seeking its own energy strategies outside of the cartel. This could affect OPEC's role in setting global energy prices and ensuring market stability. But equally, it indicates shifting priorities among key energy producers, which could result in a more competitive and adaptable energy market in the years ahead.